निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–33/21
दायरा दिनांक :–01.03.21
निर्णय दिनांक :–11.04.2022

उनवान

1. रमेशचन्द्र पुत्र श्रीराम किशन आयु 60 वर्ष जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा तहसील आरां जिला बारां।

बनाम

1. रामकिशन पुत्र स्वर्गीय चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा
2. धनपाल पुत्र रामकिशन जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा
3. बरफाबाई पुत्री रामकिशन जाति धाकड़ पत्नी दयानंद जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी किशनगज तह0 किशनगंज
4. रामजानकी पुत्री रामकिशन पत्नी दीनदयाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी केसर बाग कोटा जिला कोटा राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 11.04.2022
अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश भारद्वाज – वादी
2. श्री सिमरनजीत सिंह सिद्धांता–प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम गोरघनपुरा तहसील बारां में जमाबंदी सम्वत्2072–75 खाता संख्या नया 163 पुराना 161 की आराजी खसरा नं0 201 रकबा 0.23 है0 लगानी 10.12 रूपये, खसरा नं0 214 रकबा 0.07 है0 लगानी 3.08 रूपये, खसरा नं0 305 रकबा 0.09 है0 लगानी 0.99 रूपये, खसरा नं0 33 रकबा 2.79 हैद्व लगानी 1.16 रूपये, खसरा नं0 33/850 रकबा 0.01 है0 लगानी 0.01 रूपये, खसरा नं0 518 रकबा 3.35 है0 लगानी 3.35 रूपये, खसरा नं 63 रकबा 0.80 है0 लगानी 12.00 रूपये, खसरा नं0 736 रकबा 4.01 है0 लगानी 48.12 रूपये, कुल किता 8 कुल रकबा 11.35 है0 कुल लगानी 164.22 रूपये, स्थित है जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। अपरोक्त [illegible] वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादी का जन्म से ही 1/5 हिस्सा निहित [illegible] वादी बाहमी बंटवारे अनुसार अपने हिस्सा 1/5 पर काबिज है तथा लगातार [illegible] आ रहा है। इस कारण वादी उक्त आराजियात में से अपना हिस्सा 1/5 को पृथक करवाकर पृथक [illegible]गान निर्धारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकित करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी अपने 1/5 हिस्से पर काबिज काश्त है परन्तु वादी को काश्त करने के लिये जो सरकारी सहायता प्राप्त होती है उनका राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नहीं होने के कारण उक्त योजनाओं का तथा भूमि को उपजाउ करने, तथा ट्यूबवेल लगवाने नल कनेक्शन ऋण प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस कारण वादी अपने 1/5 हिस्से को पथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। प्रतिवादी कम 1 अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है तथा प्रतिवादी कम 2 ता 4 से मिलीभगत कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकन होने का फायदा उठाकर उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द, बेचान करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं उक्त आराजियात पैतृक आराजियात होने से वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से समान हिस्सा निहित है इस कारण वादी अपने हिस्से 1/5 को पृथक करवाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 से तहसील में चलकर वादी तथा प्रतिवादी कम 2 ता 4 के नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में आपसी सहमति से अंकन करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी गण द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार करने तथा लगातार टालमटूल करने पर वादी द्वारा प्रतिवादी कम 5 से निवेदन किया ि कवह वादी का 1/5 हिस्सा पृथक कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करदे किन्तु प्रतिवादी कम 5 द्वारा अमर्थता जाहिर करते हुये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी गई इस कारण वाद कारण अंतिम रूप से कस्बा बारां में दिनांक 15.02.2021 को उत्पन्न हुआ है। जो तबसे लेकर लगातार जारी है। राजस्थान सरकार सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण वाद में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी कम 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी के रूप में जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है जो उन्हे प्राप्त हो गया है किन्तु नोटिस की मियाद समाप्त नहीं हुई है। चूंकि वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी गण की ओर से इकवाली जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2072–75 खाता सं0 163, नलकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2038–57, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2015 से 2024, नकल खतोनी बन्दोबरत सम्वत् 2015–2024 नकल जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2011–2014 पेश की गई। साक्ष्य वादी में रमेशचन्द का शपथ पत्र पेश हुआ।

Signature Not Verified

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा में कुल 11.35 हे0 भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

गण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादी का जन्म से ही 1/5 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य बाहमी बंटवारा हो रहा है। वादी बाहमी बंटवारे के आधार पर अपने 1/5 हिस्से पर काबिज है जिस पर लगातार कब्जा काश्त चला आ राहा है। वादी अपने हिस्सा 1/5 को राजस्व रिकार्ड मे पृथक से अंकित करवाना चाहता है। वादी अपने 1/5 हिस्से पर काबिज है। परन्तु वादी को काश्त करने के लिए जो सरकारी सहायता मिलती है वह प्रार्थी को नही मिलती है क्योकि उपजाउ बनाने ट्यूबवैल लगवाने तथा कनेक्शन करवाने मे परेशानी आती है। वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकन किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकर्ड का अवलोकन किया गया।वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंनदी ग्राम गोरधनपुरा तह0 बारां सम्वत् 2072-75 खाता सं0 163 मे रामकिशन पुत्र चतरभुत जाति धाकड का नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2015-24 खाता सं0 58 मे रामकिशन पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा सम्वत् 2011-14 मे रामकिशन पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी गोरधनपुरा का नाम दर्ज रिकार्ड है।प्रतिवादी कम 1 ता 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ जिसमें प्रतिवादी को वादी का वाद पत्र स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। प्रस्तुत नकल रिकार्ड से यह साबित होता है। कि विवादित आराजी वादी के पूर्वजों की है। वादी पैतृक आराजी से अपना 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा तह0 बारां के ख0 नं0 201 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 214 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 305 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 33 रकबा 2.79 है0 ख0नं0 33/850 रकबा 0. 01 है0 ख0 नं0 518 रकबा 3.35 है0 ख0नं0 63 रकबा 0.80 है0 ख0नं0 736 रकबा 4.01 है0 कुल किता 8 रकबा 11.35 है0 भूमि में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 33/21	धारा अन्तर्गत **88,89 आर टी एक्ट,**	निर्णय दिनांक :– 11.04.2022
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री ओम भारद्वाज	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. रमेशचन्द्र पुत्र श्रीराम किशन आयु 60 वर्ष जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा तहसील आरां जिला बारां।

बनाम

1. रामकिशन पुत्र स्वर्गीय चतुर्भुज जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा
2. धनपाल पुत्र रामकिशन जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा
3. बरफाबाई पुत्री रामकिशन जाति धाकड़ पत्नी दयानंद जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी किशनगज तह0 किशनगंज
4. रामजानकी पुत्री रामकिशन पत्नी दीनदयाल जाति धाकड़ निवासी गोरधनपुरा हाल निवासी केसर बाग कोटा जिला कोटा राज0

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा तह0 बारां के ख0 नं0 201 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 214 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 305 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 33 रकबा 2.79 है0 ख0नं0 33/850 रकबा 0.01 है0 ख0 नं0 518 रकबा 3.35 है0 ख0नं0 63 रकबा 0.80 है0 ख0नं0 736 रकबा 4.01 है0 कुल किता 8 रकबा 11.35 है0 भूमि में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

साथ ही नियमानुसार........................ रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 11.04.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

		व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:09:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner